


साह से पूर्व अधीन का समय हो गया है। उक्त प्रतिवादीगण की ओर से कोई हाजिर उदालत नहीं आया है। अतः प्रतिवादी सं. 6, 20 व 22 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वाले पेश होने लगए खानदान, वारिसनामा एवं तलबी प्रतिवादी सं. 2 व 23 हेतु अग्रिम तारीख पेशी दिनांक 11/07/2019 को पेश हो।

11/07/19 पत्रावली पेश हुई। वजुलाय उप. पूर्व में प्रतिवादी सं. 2 की ओर से पेश हुकनाली जवाब को अभिलेख पर लिया जाता है। प्रतिवादी सं. 23 की तारीख सम्पन्न रूप से होकर लौटी है। बावजूद सम्पन्न तारीख उक्त प्रतिवादी की ओर से कोई हाजिर उदालत नहीं आया है। अतः कार्यवाही अमल में प्रतिवादी सं. 23 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वजुलाय उपपदा ने अमल में मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रजिस्ट्रार एवं पेशवादा राजीनामा का अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से वकील का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाय।

है तथा घोषणा इस आशय की जाती की जाती है कि :-



आदेश

तन ग्राम चाणवास ऊँ छैमराज का बाल  
पं.ह. कासरी अवास्थित कृषि मूषि ख. नं.  
12, 13, 194, 283, 289, 292, 293, 294, 43  
रकबा 5.77 है. एवं तन ग्राम कालवाड. पं.ह.  
सुजाता अवास्थित कृषि मूषि ख. नं. 22, 23  
रकबा 1.19 है. में 1/3 हिस्सा का वादी एवं  
उतिवादीगण सं. 8 ता 10 को, 1/3 हिस्सा का  
उतिवादीगण सं. 1, 3, 4 व 6 को एवं 1/3  
हिस्सा का उतिवादीगण सं. 15 ता 18 को  
खारदार कारतकार घोषित किया जाकर उक्त  
मूषियों की खारदारी से मुक्त कानावाम, ना(यण),  
उभात, हणमान का नाम हजफ किया  
जाता है। तहसीलदार खण्डला उक्त हिस्सों  
पर नियमानुसार जमा योग्य Stamp शुल्क  
अथवा हक त्याग टारी राजकीय में जमा  
ली जाकर उक्तानुसार राजस्व रेकोर्ड में  
अमल दफ्तद किया जाना सुनिश्चित करें।  
तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। फतावली  
फैसल शुमाट होकर नम्बर से लग ही  
तथा काद तन्मील दाखिल दफ्तर हो। निगमि  
जुर्ने न्यायालय में सुनाया गया।

11/07/19  
(महीपल सिंह) RAS  
सहायक कलेक्टर  
(फारद देक) खण्डला

# डिग्री मुकदमा इब्सादाई

अन्तिम डिग्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाबता दीवानी)

अदालत सहामल कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम खण्डेला  
 इजलास श्री महीपाल सिंह, RAS

① सौहनलाल बनाम ② श्रीमती देवी वर्मा  
 दावा बाबत घोषणा एवं इजलासी रिपोर्ट

मुकदमा नं. 149 सन् 2018

यह मुकदमा आज वारते इनफिरसाल कतई रुबरु श्री महीपाल सिंह, RAS  
 डिग्री श्री उमाकांत बिजापति मिनजानिव मुद्दई रुबरु श्री नवनीत शर्मा

मिनजानिव मुद्दागलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

ग्राम चाणवास उर्फ चैमोज का वास पं. ह. वाल्डी अवस्थित कृषि  
मि. ख. नं. 12, 13, 194, 283, 289, 292, 293, 294, 43 कवा. 5.77 है.

तन ग्राम चालवास पं. ह. सुजाना अवस्थित कृषि मूषि ख. नं. 22, 23  
वा. 1.19 है. मैं 1/3 हिस्सा का बन्दी एवं प्रतिबन्दीगण सं. 8 ता 10 को, 1/3 हिस्सा -

मुवलिग X बाबत X  
 इस मुकदमें के मय सूद बशरह X फीसन्दी जाबाना आज की तारीख से  
 अदायगी तक X का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 07 सन् 2019 को  
 की गई।

दस्तखत 11/07/19  
(महीपाल सिंह) RAS  
 ओहदा सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	
			रुपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा	
नकालत नामा			स्टाम्प अर्जी	
वजह सबूत			महन्ताना वकील	
नामा वकील			खर्चा गवाहान	
मजदान			फीस कमिश्नर	
कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा	
इजराय हुकमनामा			मुताफरिक	
मिजान			मीजान	

दो पार्श्वों के पार्श्व पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो

\* पुत्र लक्ष्मण जाति बलार्ड निवासी चारणवास्त उर्फ खैराजकमल  
का वास तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)

- वादी

बनाम

- \* पत्नी कानाराम ② मिश्री देवी पुत्री कानाराम  
③ महावीर ④ मनोज पुत्रगण कानाराम ⑤ मैवा उर्फ माया पुत्री का  
⑥ श्यामलाल पुत्र कानाराम ⑦ मोहनी पुत्री बापयण  
⑧ पूर्वमिल ⑨ राजेन्द्र ⑩ सुरेश पुत्रगण लक्ष्मण  
⑪ पूजा पुत्री लक्ष्मण ⑫ छिमी ⑬ लिवणी पुत्रीगण हणामान  
⑭ कैवली पत्नी चीतमल ⑮ मदनलाल पुत्र चीतमल  
⑯ राजू ⑰ ओमप्रकाश ⑱ अशोक पुत्रगण चीतमल  
⑲ ममता पुत्री चीतमल ⑳ मलजुमाल पुत्र संतण देवी  
㉑ चौली उर्फ धर्मवीर पुत्र संतण देवी  
㉒ भास्कर पुत्र संतण देवी

समस्त जाति बलार्ड निवासीगण चारणवास्त उर्फ खैराजकमल  
तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)

㉓ भूमिधारी तहसीलदात खण्डेला (सीकर-राज.)

- उत्तिवादीगण

\* का उत्तिवादीगण सं. 1, 3, 4 व 6 को एवं 1/3 हिस्सा का उत्तिवादीगण  
सं. 15 ता 18 को खार्तदार काशतका चोषित किया जाकर उक्त  
कूमियों की खार्तदारी से मुक्त कानाराम, नाटयण, प्रभात, हणामान  
का नाम हज्ज किया जाता है। तहसीलदात खण्डेला उक्त हिस्सों  
पर नियमानुसार जमा योग्य stamp शुल्क अथवा हक लग्न  
द्वारा राजकांष में जमा ली जाकर अनुसूचित राजस्व कोर्ड  
में अमल दफ्तद किया जाना सुनिश्चित करे।

8/11/19  
महीपाल सिंह RAS  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला